(3)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/112

1. लक्ष्मण लाल आत्मज स्वर्गीय अम्बालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. विमला देवी पुत्री सुखदेव पत्नि बहादुर मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम राजकोट जिला टोंक हाल निवास ग्राम बुढेल तहसील इन्दगढ़ जिला बून्दी राज.

——अपीलांटगण

बनाम

1. चेतराम बालिग आत्मज स्व0 भंवरलाल जाति मीणा
2. तुलसी बाई बालिग पत्नि स्व0 रामरतन जाति मीणा
3. तस्वीर बाई बालिग पुत्री रामरतन जाति मीणा
4. नंदकिशोर बालिग आ. स्व0 रामरतन जाति मीणा
5. बनवारीलाल बालिग आ. स्व0 रामरतन जाति मीणा
6. राजेन्द्र कुमार बालिग आ. स्व0 रामरतन जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
7. पार्वती देवी बालिग पत्नि बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पीपलवाड़ा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज0
8. नुरका बाई बालिग पत्नि रेवडमल जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
9. अर्चना कुमारी बालिग पुत्री गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
10. मनीष मीणा बालिग पुत्र गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
11. सुरेश मीणा बालिग पुत्र गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
12. सरिता देवी बालिग पुत्री गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
13. बादाम बाई बालिग पत्नि स्व0 गिरिराज जाति मीणा निवासी बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(4)

14. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी राज0
15. तहसीलदार इन्द्रगढ़, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
16. उप पंजीयक इन्द्रगढ़, पंजीयन कार्यालय इन्द्रगढ़ राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री वहीद अहमद शेख, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

दिनांक: 29.08.2025

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 68/2023 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि खतौनी संख्या नई 54 पुरानी 55 की भूमि खसरा संख्या 141 रकबा 0.05 है०, खसरा संख्या 144 रकबा 0.1300 है०, खसरा संख्या 154 रकबा 0.5000 है०, खसरा संख्या 175 रकबा 0.2400 है०, खसरा संख्या 178 रकबा 0.2100 है०, खसरा संख्या 177 रकबा 0.5000 है०, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0300 है०, खसरा संख्या 207 रकबा 0.5500 है०, खसरा संख्या 208 रकबा 0.3200 है०, खसरा संख्या 209 रकबा 0.0100 है०, खसरा संख्या 210 रकबा 0.5300 है०, खसरा संख्या 211 रकबा 0.2900 है०, खसरा संख्या 212 रकबा 0.1600 है०, खसरा संख्या 213 रकबा 0.4800 है०, खसरा संख्या 214 रकबा 0.3200 है०, खसरा संख्या 56 रकबा 0.6500 है० कुल किता 16 कुल रकबा 0.97 है० वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उत्तराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। इसी प्रकार खतौनी संख्या नई 23 पुरानी 21 की भूमि खसरा संख्या 116 रकबा 0.200 है०, खसरा संख्या 173 रकबा 0.5600 है०, खसरा संख्या 57 रकबा 1.1500 है०, खसरा संख्या 58 रकबा 0.5300 है०, खसरा संख्या 59 रकबा 1.3200 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 3.4600 है० वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। इसी प्रकार खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 की भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 1.9000 है० कुल किता 1 कुल रकबा 1.9000 है० वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। इसी प्रकार खतौनी संख्या पुरानी 289 नई 270 की भूमि खसरा संख्या 811 रकबा 1.8300 है० कुल किता 1 कुल रकबा 1.8300 है० वाके ग्राम बुढेल पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़

जिला बून्दी में विस्थित है। इसी प्रकार खतौनी संख्या नई 53 पुरानी 59 की भूमि खसरा संख्या 745 रकबा 0.18 है०, खसरा संख्या 746 रकबा 0.0500 है०, खसरा संख्या 749 रकबा 0.1000 है०, खसरा संख्या 750 रकबा 0.2900 है०, खसरा संख्या 751 रकबा 1.1800 है०, खसरा संख्या 752 रकबा 0.0100 है०, खसरा संख्या 753 रकबा 0.2100 है०, खसरा संख्या 754 रकबा 0.1800 है०, खसरा संख्या 755 रकबा 0.2800 है०, खसरा संख्या 756 रकबा 0.7800 है०, खसरा संख्या 802 रकबा 1.9600 है० कुल किता 11 कुल रकबा 5.2200 है० वाके ग्राम उतराना पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जो अम्बालाल के देहांत के उपरांत उनके वारिसान के खाते में दर्ज हुयी। अम्बालाल के चार पुत्र लक्ष्मण, सुखदेव, रामरतन व भंवरलाल हुए जिनमे रामरतन व भँवरलाल का देहांत हो चुका है। भँवरलाल का एक पुत्र चेतराम है। रामरतन की पत्नि तुलसी बाई, पुत्री तस्वीर बाई एवं तीन पुत्र नंदकिशोर, बनवारीलाल व राजेन्द्र कुमार है। अम्बालाल का पुत्र प्रार्थी लक्ष्मण जीवित है। अम्बालाल का पुत्र सुखदेव करीब 20–25 वर्षों से लापता है। सुखदेव की पत्नि नटी बाई का देहांत हो चुका है। प्रार्थीया विमला देवी सुखदेव की पुत्री व एक मात्र वारिस है। प्रार्थीया विमला देवी के पिता करीब 20–25 वर्षों से लापता होने से कानूनी रूप से मृत हो चुके है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खतौनी संख्या 54 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी संख्या 23 की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अलावा पार्वती देवी पत्नि बद्रीलाल का नाम विधिक खातेदार के रूप में दर्ज है। खतौनी संख्या 22 की भूमि में अप्रार्थी चेतराम व प्रार्थीया विमला देवी के पिता सुखदेव का नाम एवं नुरका बाई पत्नि रेवडमल का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खतौनी संख्या 289 की भूमि में प्रार्थी लक्ष्मण एवं प्रार्थीया विमला के पिता सुखदेव के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का नाम दर्ज है। इसी प्रकार खतौनी संख्या 63 की भूमि में प्रार्थी लक्ष्मण व प्रार्थीया विमला देवी के पिता सुखदेव के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 का नाम दर्ज है। उक्त भूमि गिरिराज के खाते में थी जिसके देहांत के बाद उसके वारिसान का नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सुखदेव का नाम अंकित है जबकि सुखदेव करीब 20–25 वर्षों से लापता है जो कानूनी रूप से मृत हो चुका है। सुखदेव की एक मात्र वारिस प्रार्थीया विमला देवी है जो सुखदेव के खाते की भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया सुखदेव के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पक्ष में अधिकार घोषणा की डिक्री पारित फरमा कर राजस्व रिकॉर्ड से सुखदेव पुत्र अम्बालाल का नाम विलोपित कर प्रार्थीया विमला देवी के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित

में आवश्यक है। प्रार्थीया का नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि का सही एवं वैधानिक रूप से उपयोग उपभोग नही कर पा रही है और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 भी उसे बेदखल करने पर आमादा है जिन्हे भी प्रार्थीगण दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 अपने अपने खाते के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त कृषि भूमि शामलाती होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के मध्य मेडो के मामले को लेकर एवं लगान पिलाई की अदायगी को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का बँटवारा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अपना अलग से दर्ज करवावे और अपने हिस्से मे आने वाली भूमि पर स्वतंत्र रूप से कब्जा प्राप्त करे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 जबरन उक्त शामलती भूमि पर प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने एवं उसे अन्य व्यक्तियो को रहन, बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 ताकतवर व प्रभावशाली है जिन्हे दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद नहीं किया गया तो वह प्रार्थीगण को उनके खाते व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देगे, उसे अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से सभंव नहीं हो सकेगी। दिनांक 07–07–2023 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायग 13 से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन करने एवं उसे बेचान नही करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने इंकार कर दिया और धमकी दी की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर के रहेगें। मूल वाद के निस्तारण में अभी समय लगने की संभावना है। दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद नहीं किया गया तो वह प्रार्थीगण को उनके खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ संभव नही हो सकेगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दौराने वाद मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण को उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल नही करे, उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे, उक्त भूमि या उसके किसी हिस्से को अन्य व्यक्तियो को रहन, बेचान नही करे, ऐसा अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही अन्यों से करावें। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि का विभाजन हुए बिना अपने खाते में दर्ज हुई भूमि को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

अन्य व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में बेचान का पंजीयन नही करावे। अप्रार्थी संख्या 15 व 16 ऐसे किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें, राजस्व रिकॉर्ड में कोई फेरबदल नही करे। खर्चा प्रार्थना पत्र व अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के पक्ष में सुलभ हो प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलाई जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2025 को प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि..... प्रार्थना पत्र वास्ते जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी द्वारा दिनांक 07–01–2025 को निर्णय पारित किया था, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा उन्हे माह फरवरी 2025 में देने पर निर्णय की नकल हेतु दिनांक 03.02.2025 को आवेदन करने पर निर्णय की नकल दिनांक 14.02.25 को प्राप्त हुयी इसलिए अपील अन्दर अवधि पेश है। प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने में जानबुझकर देरी नही की। आदेश की जानकारी होते ही नकल मिलते

ही अपील पेश कर दी गयी है। देरी को माफ नही किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्त नहीं कर सकेगे इसलिए न्यायहित में देरी को माफ किया जाना प्रार्थनीय है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अपील पेश करने में हुई देरी को माफ फरमाया जावे। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तथाकथित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण/अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है, जो अम्बालाल से आयी है। अम्बालाल के चार पुत्र लक्ष्मण, सुखदेव, रामरतन, भंवरलाल हुए। जिनमें रामरतन व भंवरलाल का देहांत हो चुका है। अम्बालाल का पुत्र लक्ष्मण जीवित है। अम्बालाल का पुत्र सुखदेव करीब 20–25 वर्षों से लापता है। सुखदेव की पत्नि नटी बाई का निधन हो चुका है। सुखदेव की पुत्री विमला देवी है जो उक्त प्रार्थना पत्र व वाद में लक्ष्मण के साथ प्रार्थीया थी। विमला देवी द्वारा सिविल न्यायाधीश इन्द्रगढ़ के न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणा मृत्यु का प्रस्तुत किया था। सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीया विमला देवी के पिता को कानूनी रूप से मृत घोषित करने की डिक्री पारित की थी, जिससे सुखदेव की भूमि पर विमला देवी का अधिकार होना प्रमाणित होने एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण/अपीलांट के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही करने के उपरांत भी अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी द्वारा अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रार्थीया संख्या 2 को वाद विषयक आराजी में क्या हक अधिकार प्राप्त होगे ? इसका निर्धारण वाद पत्र में प्रार्थीगण की साक्ष्य लिया जाकर ही किया जा सकता है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम उक्त शामलाती वाद विषयक भूमि में बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे सबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष सही नहीं हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के सहखातेदार है। जिनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा नही होने के सबंध में कोई शहादत व दस्तावेज नही होने के उपरांत भी न्यायालय द्वारा

उक्त तथ्य अंकित करके प्रार्थीगण/ अपीलांट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण द्वारा विभाजन भूमि अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के सबंध में मूल वाद पेश कर मूल वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद के निस्तारण कर अप्रार्थीगणो को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण की प्रार्थना के अनुसार मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी ताकि विवादित भूमि के सबंध में किसी प्रकार का रहन, बेचान या राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन ना हो परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना तथ्यो के खारिज किया है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी का निर्णय दिनांक 07.01.2025 निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी के निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त किए जाने तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खतौनी संख्या नई 54 पुरानी 55 की भूमि वाके ग्राम बुढेल एवं खतौनी संख्या नई 23 पुरानी 21 की भूमि वाके ग्राम बुढेल, खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 की भूमि वाके ग्राम बुढेल एवं खतौनी संख्या नई 53 पुरानी 59 की भूमि वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में प्रार्थीगणो को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नही करने, उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करने, उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन, बेचान नही करने के लिए अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ की खाता संख्या 54 की कुल किता 16 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 23 की कुल किता 5 कुल रकबा 3.46 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 22 की खसरा नम्बर 256 रकबा 1.90 हैक्टेयर तथा ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ की खाता संख्या 289 की खसरा संख्या 811 रकबा 1.83 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 53 की कुल किता 11 कुल रकबा 5.22 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में प्रार्थीगण अपीलांटगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने तथा दीगर को रहन, बेचान तथा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक भूमि है जो अम्बालाल के खाते दर्ज रही है तथा प्रार्थी अपीलांट संख्या 1 अम्बालाल का पुत्र तथा प्रार्थी अपीलांट संख्या 2 अम्बालाल की पौत्री होने की हैसियत से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का हक अधिकार निहित है तथा प्रार्थीगण स्वयं के हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार ग्राम बुढेल तहसील इन्द्रगढ़ की खाता संख्या 54, खाता संख्या 23 व खाता संख्या 22 तथा ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ की खाता संख्या 289 व खाता संख्या 53 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट संख्या 1 लक्ष्मण तथा अपीलांट संख्या 2 के पिता सुखदेव का नाम अन्य खातेदारान के साथ सह खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि में अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के अपीलांटगण अभिलिखित खातेदार है तथा कब्जे के सम्बंध में कोई विपरीत साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए है अतः वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त माना जाएगा । अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के अपीलांटगण एकमात्र खातेदार नहीं होकर अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में भी दर्ज रिकॉर्ड है अतः अपीलांटगण प्रार्थीगण केवल अपने हक हिस्से तक की भूमि के सम्बंध में ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से तक वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2025 में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त के सम्बंध में कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी बिना किसी आधार के प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 68/2023 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 13

11

को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित ग्राम बुढेल व ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ की विवादित आराजी में अपीलांटगण के हक हिस्से की भूमि तक अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही दीगर व्यक्ति से करावें तथा मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

29/8/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा